bZ0 xousZUl lkslkbZVh ¼vkj0,y0,0½ vEc] rglhy vEc] ftyk Åuk ds ys[kkvksa dk vads{k.k ,oa fujh{k.k izfrosnu

vof/k 8@2005 ls 3@2011

Hkkx&,d

1 izkjfEHkd%&

¼d½ हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा अधिूसचना संख्या टी0पी0टी0–एफ(1) 3/2000 –ई–गवर्नेस दिनॉक 3.9.2005 के अन्तर्गत ई0 गवर्नेस सोसाईटीयों की स्थापना तथा आय–व्यय एवं अन्य अभिलेख रखने से सम्बन्धित दिषा निर्देष जारी किए गए। ई0 गवर्नेस सोसाईटी (आर0एल0ए0) अम्ब की स्थापना बारे निर्णय माननीय उपायुक्त एवं अध्यक्ष ई0–गवर्नेस सोसाईटी ऊना की अध्यक्षता में दिनॉक 4.1.2005 को हुई बैठक की मद संख्या 2 में लिया गया तथा सैन्टर में माह 8/2005 से विधिवत रूप से कार्य आरम्भ हुआ।

¼[k½ Jh lquhy dqekj vkxjk lgk;d funs'kd dk fnukad 21-7-2011 dk fujh{k.k izfrosnu ¼fQu&¼,y0,0½,p¼2½lh¼15½¼14½276@2011&[k.M&1&4672 fnukad 12-8-2011½

1	पैरा–1	निर्णीत	(अंकेक्षण के दौरान खाताबही तैयार कर दी गई)
2	पैरा–2	अनिर्णीत	
3	पैरा–3	अनिर्णीत	
4	पैरा–4	अनिर्णीत	
5	पैरा–5 (i) (ii)	अनिर्णीत	
6	पैरा–6 (i) (ii)	अनिर्णीत	
7	पैरा–7 (i) (ii)	अनिर्णीत	
8	पैरा–8	अनिर्णीत	

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.k%&

आर0एल0ए0 अम्ब का अवधि 8/2005 से 3/2011 का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है श्री जितेन्द्र सिंह अनुभाग अधिकारी तथा श्री संजीव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनॉक 14.7.2011 से 3.8.2011 तक अम्ब में किया गया। विस्तृत पड़ताल हेतु आय व व्यय के लिए मास 8/2005, 5/2006, 1/2008, 3/2009,

10/2009, 10/2010, 9/2005, 3/2007, 9/2007, 6/2008, 3/2010 व 10/2010 का चयन किया गया।

"The audit report has been prepared on the basis of information furnished and made available by the controlling officer of the institution. The office of LAD disclaims any responsibility for any misinformation or non-information on the part of auditee."

vid{k.k vof/k di nkjku vkj0,y0,0 vEc ei fuEufooj.kkuqlkj vkgj.k ,oi forj.k vf/kdkjh dk;jÙk jgi&

Ø0 l0	vkgj.k ,o forj.k vf/kdkjh dk uke	dk;Hkkj vof/k
1	श्री सुभाष नन्दा, एच0ए0एस0	8/2005 से 2911.2006
2	श्री नीरज कुमार, एच0ए0एस0	26.12.2006 से 13.6.07
3	श्री सुखदेव सिंह, एचए0एस0	13.6.07 से 1.3.08
4	श्री पी0आर0 वर्मा, एच0ए0एस0	3.3.08 से 10.2.09
5	श्री नरेन्द्र षर्मा, एच0ए0एस0	10.2.09 से 31.5.10
6	श्री अष्विनी रमेष, एच0ए0एस0	26.7.2010 से 31.3.2011

3 vid{k.k 'kqYdi&

आर0एल0ए0 अम्ब के लेखाओं अवधि 8/2005 से 3/2011 का अंकेक्षण षुल्क ₹17200/–ऑका गया। उपमण्डलाधिकारी अम्ब जिला ऊना को अनुभाग अधिकारी की अधियाचना संख्या 154/2011 दिनॉक 26.8.2011 द्वारा उक्त षुल्क की राषि को निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष षिमला–9 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजने का अनुरोध किया गया।

4 foÙkh; fooj.k ¼rqyu i=½&

आर0एल0ए0 अम्ब की अवधि 5.8.05 से 31.3.11 की वित्तीय स्थिति का विवरण परिषिष्ट–"क" के पृष्ठ संख्या 1 से 4 पर संलग्न है।

5 ₹19000@&dk vfu;fer Hkqxrkui&

मुख्य प्रषासक ई–गवर्नेस सोसाईटी ऊना की अध्यक्षता में दिनांक 7.9.2009 को हुई बैठक की मद संख्या 8.6 द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव अनुमादित किया गया, "The additional Chief Administrator and Administrator shall be competent to incur expenditure on

entertinment and hospitailty upto a monthly cealing of ₹1000/-, Tehsildar and Naihb Tehsildar may also incur expenditure on the experts/ Govt. servents visiting their offices in connecdtion with E.Governance project. In case it exceeds the prescribed limit, the approval of Chief Administrator shall be necessary."

परन्तु जॉच मे ंपाया गया कि आतिथ्य सत्कार का भुगतान स्थाई भत्ते के रूप मे निम्न विरणानुसार ंकिया गया जो कि अनियमित है। अतः स्थाई भत्ते के रूप में दी गई राषि की वसूली सम्बन्धित अधिकारी से करनी सुनिष्चित की जाए।

oru ifjdk jftLVj i0l0	uke	vof/k	jkf'k
10	नरेन्द्र षर्मा (एस0डी0एम0)	09/09 से 5/10	1000x9=₹9000
10	अष्वनी रमेष (एस0डी0एम0)	8/10 से 10/10	1000x3=₹3000
21	अष्वनी रमेष (एस0डी0एम0)	11/10 से 1/11	1000x3=₹3000
21	अष्वनी रमेष (एस0डी0एम0)	2/11 से 5/11	1000x4=₹4000
		dqy	₹19000

6 ₹2]49]410@&dk vuqfpr izHkkj%&

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्या टी0पी0टी0एफ0 (1) 3/2000–ई–गवर्नेस दिनॉक 3.9.2005 द्वारा जारी दिषा निर्देषों के अनुसार निम्नानुसार किया गया व्यय ई गवर्नेस निधि पर अनुचित प्रभार है जिसकी वसूली उचित स्त्रोत से सुनिष्चित की जाए अन्यथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाया जाए।

Ø0 l0	QeZ dk uke	fcy l[;k fnukd	fooj.k	ek=k	nj	jkf'k	fVIi.kh
1	कौंडल क्लाथ हाऊस अम्ब	992, 24.4.07	मारकीन	100मी0	30	3000	–
2	–यथोपरि–	907, 3.2.07	मारकीन	50 मी0	30	1500	–
3	रजनीष इलैक्ट्रोनिक्स ऊना	–	–	–	–	1976	मूल बिल अभिलेख में उपलब्ध नहीं है।
4	–	465, 5.8.08	–	–	–	2184	–यथोपरि–
5	–	232, 8.12.10	हीटर	–	–	3200	–यथोपरि–
6	–	241, 23.12.10	हीटर	–	–	3400	–यथोपरि–

7	—	236, 13.12.10	हीटर	—	—	3200	—यथोपरि—
8	रजनीष इलैक्ट्रोनिक्स ऊना	1081, 17.12.09	फैक्स	1.8528		8528	तहसीलदार अम्ब को जारी की गई।
9	हिमाचल स्टेट इलैक्ट्रोनिक्स डिवैलपमैन्ट कापोरेषन षिमला		फोटोस्टेट मषीन	1 नं0	—	2,22,422	तहसीदार अम्ब के लिए।
					;kx	₹2]49]410	

7 ₹8903@& dk lEHkkfor vf/kd Hkqxrku%&

मैसर्ज विष्वकर्मा ट्रेडर्ज मुबारिकपुर तहसील अम्ब जिला ऊना को उनके बिल संख्या 1244 दिनांक 24.8.2009 के एवज में आर0एल0ए0 अम्ब के कार्यालय में एल्यूमिनियम के खिड़कियां तथा दरवाजे लगाने के लिए ₹62,114/—का भुगतान तैयार किए गए अनुमान के आधार पर किया गया। यह अनुमान दो दरवाजों तथा 4 खिड़कियों के लिए तैयार किया गया था परन्तु अनुमान में गणना करते समय 4 खिड़कियों के स्थान पर 5 खिड़कियां दर्षा दी गई जिसके कारण फर्म को ₹8903/—का भुगतान अधिक किया गया प्रतीत होता है। इस सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी से प्रत्यक्ष सत्यापन करवाकर वस्तु स्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए अथवा अधिक किए गए भुगतान की वसूली करनी सुनिष्चित की जाए।

en dk uke	5 f[kMfd;k d fy, x.kuk e yh xb ek=k	4 f[kMfd;k d fy, x.kuk e yh tku ikyh ek=k	vf/kd ek=k	nj	jkf'k
(i) एल्यूमिनियम फ्रेम	47.47 कि0ग्रा0	37.97 कि0ग्रा0	9.5 कि0ग्रा0	380	3610.00
(ii) एल्यूमिनियम षटर	139.30 कि0ग्रा0	111.44 कि0ग्रा0	27.86 कि0ग्रा0	190	5293.00
				;kx	₹8903

8 ₹2]29]835@&d fuek.k dk; fuft Qek l djok, tku ckj%&

आर0एल0ए0 अम्ब द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान निजि फर्मों से निम्नानुसार निर्माण कार्य करवाए गए। हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिषा निर्देषों के अनुसार यह कार्य हिमाचल प्रदेष सरकार के प्राधिकृत विभागों से करवाये जाने वांछित थे परन्तु आर0एल0 अम्ब ने बिना अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किए यह कार्य अपने स्त्तर पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए करवाए गए जिसके बारे में इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

Ø0 l0	Qe dk uke	fcy l0 o fnukd	fooj.k	jkf'k	fVIi.kh
1	मैसर्ज विष्वकर्मा ट्रेडर्ज मुबारिकपुर	1338, 14.3.10	एल्यूमिनियम की खिड़की तथा दरवाजे	21400	–
2	मैसर्ज षम्मी इलैक्ट्रिकल वर्कस ऊना	193 –	बिजली कार्य	13321	–
3	मैसर्ज सूर्या इन्टरप्राईजिज अम्ब	238, 239, 240 –	केबिन बनाने का कार्य	1,33,000	₹1390 बी0डी0ओ0 अम्ब के कार्यालय की खिड़की पर व्यय किए गए जिसकी वसूली की जाए।
4	मैसर्ज विष्वकर्मा ट्रेडर्ज मुबारिकपुर	1244, 24.8.09	एल्यूमिनियम की खिड़की व दरवाजे	62,114	
			;kx	₹2]29]835	

9 ₹2]05]150@&dh LVs'kujh dk Ø; dju ckjs&

मैसर्ज परम दयाल बुक स्टोर ऊना से स्टेषनरी की मदों के क्रय की जॉच करने पर पाया गया कि दरों के लिए मात्र तुलनात्मक विवरणी की फोटोप्रति ही संलग्न थी तथा फर्मों की कुटेषने अभिलेख में उपलब्ध न थी जिसके अभाव में दरों की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त खुले बाजार से स्टेषनरी का क्रय मुद्रण एवं लेखन विभाग हिमाचल प्रदेष तथा नियन्त्रण भण्डार हिमाचल प्रदेष सरकार से अनापति प्रमाण–पत्र लिए बिना किया गया जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में स्टेषनरी का क्रय, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेष से ही किया जाना सुनिष्चित किया जाए।

fcy l[;k	fnukd	fooj.k	jkf'k	fVIi.kh
242	16.1.2010	स्टेषनरी	88,392	–

287	18.2.2010	स्टेषनरी	19,178	
–	31.5.2010	–	7,580	(मै0 षर्मा इन्फोसिस से क्रय किया गया
1664	13.1.2011	स्टेषनरी	90,000	तथा मूल बिल पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए)
			₹2]05]150	

10 ₹76000@&dk mi;kfxrk iek.k i= ikIr u djuk ckjs&

आर0एल0ए0 अम्ब द्वारा सहायक अभियन्ता हिमाचल प्रदेष राज्य विद्युत बोर्ड बोर्ड ऊना को बिजली के कार्य (Deposit work) के आधार करवाने के लिए दिनांक 3.9.2005 को ₹76000 (₹50,000+₹26000) का भुगतान किया गया परन्तु किए गए भुगतान के उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिलेख हेतु प्राप्त नहीं किए जिन्हें सम्बंन्धित विभाग से प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

11 ₹13]55]779@&dh jkf'k tek djokus ckjs&

आर0एल0ए0 अम्ब द्वारा ई0 गवर्नेस सोसाईटी ऊना के कांगड़ा सैन्ट्रल को–ऑप्रेटिव बैंक लिमिटड ऊना के खाता संख्या 0013–0–070–05269 में निम्नानुसार राषि जमा की गई दर्षाई गई है परन्तु अभिलेख हेतु रसीदें प्राप्त नहीं की गई जिन्हें अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

ekg	jkf'k
6/2008	2,03,655
1/2010	2,75,889
4/2009	3,50,990
9/2007	5,25,245
	₹13]55]779

12 fo|qr foHkkx dks Hkqxrku fd, x, ,fj;j ₹1]75]822@&dk ckjs esa&

ई गवर्नेस अम्ब के कार्यालय में लगाए गए मीटर संख्या 23–111–सी के बिलों की जांच करने पर पाया गया कि सोसाईटी द्वारा विद्युत विभाग को ₹1,75,822/–बतौर एरियर भुगतान किए गए, परन्तु भुगतान किये गये एरियर से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में उपलब्ध

नहीं करवाए गए। अतः यह मामला विद्युत विभाग के साथ उठाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

jlhn la[;k	fnukad	,fj;j	,uthZ pktZ rFkk lfoZl pktZ	;ksx
557225	2.1.2008	15606	14099	29,705
396123	20.11.2010	1,60,216	14074	1,74,290
	;ksx	1]75]822	28173	2]03]995

13 foyEc 'kqYd dh :i ₹205@&dk Hkqxrku%&

आर0एल0ए0 अम्ब द्वारा बिजली के मीटर संख्या ए0एम0–5–260–सी के बिल संख्या 4783080 के अन्तर्गत ₹22,807/–का भुगतान किया गया और रसीद संख्या 700773 दिनॉक 27.1.2007 भी प्राप्त की गई। उक्त भुगतान की गई राषि में ₹205/–विलम्ब षुल्क के रूप में सम्मिलित थी। यह राषि वर्तमान मास के लिए ₹74/– तथा पिछले मास के लिए ₹131/–थी। अतः बिजली का बिल समय पर जमा न करवाने की जिम्मेवारी निर्धारित करते हुए ₹205/–की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी से की जाए।

14 deZpkfj;ksa dh fu;qfDr ckjs%&

मुख्य प्रषासक जिला ई गवर्नेस सोसाईटी ऊना के पत्र संख्या 749–758 दिनांक 19.9.2009 की मद संख्या 8.9 के अनुसार, "The engagement of contractual staff for the upkeep and maintenance of the E-Governance center can also be done but with the prior approval of the Chief Administrator ."

जॉच में पाया गया कि ई–गवर्नेस सेन्टर अम्ब में कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति सें सम्बधित अनुमति मुख्य प्रषासक से नहीं ली गई है तथा कुछ कर्मचारियों के अनुबन्ध का नवीनीकरण समय पर नहीं किया जा रहा है। अतः जिन कर्मचारियों को नियुक्ति से सम्बन्धित अनुमति मुख्य प्रषासक से नहीं ली गई है तथा जिन कर्मचारियो के अनुबन्ध का

नवीनीकरण समय पर नहीं किया जा रहा है उनकी सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त की जाए तथा सभी कर्मचारियों के अनुबनध का नवीनीकरण करने के उपरान्त ही वेतन का भुगतान सुनिष्चित किया जाए।

15 deZpkfj;ksa ds osru ckjs%&

जॉच में पाया गया कि कर्मचारियों को ₹3000/–के प्रारम्भिक वेतन पर अनुबन्ध में रखा गया जिसे बढ़ाकर ₹5000/– तथा तदोपरान्त ₹7000/–कर दिया गया। वेतन में बढ़ौतरी करने हेतु कुछ कर्मचारियों के मामले में सक्षम अधिकारी की अनुमति नहीं ली गई जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए अन्यथा की गई बढ़ौतरी के फलस्वरूप अधिक किए गए भुगतान की वसूली सुनिष्चित की जाए।

16 Hk.Mkj jftLVj dk j[kj[kko u djus ckjs%&

आर0एल0ए0 अम्ब द्वारा उपभोज्य एवं अनुभोज्य मदों का क्रय किया गया परन्तु क्रय की गई मदों को भण्डार पंजिका में मदवार दर्ज नहीं किया गया जिसके अभाव में एक निष्चित अवधि को किसी भी मद की बकाया मात्रा की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः वांछित अभिलेख षीध्र तैयार किया जाए।

17 izR;{k lR;kiu%&

नियमानुसार भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष किया जाना अनिवार्य है परन्तु जॉच में पाया गया कि आर0एल0ए0 अम्ब द्वारा भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया। अतः वांछित कार्यवाही अब करके अनुपालना से इस विभाग को षीध्र अवगत करवाया जाए।

18 **Daily Collection Register** dk fuekZ.k u djus ckjs%&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि आर0एल0ए0 अम्ब द्वारा Daily collection Register का निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में आय की सही प्रकार से जॉच नहीं की जा सकी। अतः उपरोक्त रजिस्टर यथाषीध्र तैयार करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

19 Vªtjh vEc rFkk b&xousZl lkslkbZVh Åuk ls foÙkh; rFkk vU; enksa dk feyku djus ckjs&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में आर0एल0ए0 अम्ब द्वारा टरेजरी अम्ब में चालानों द्वारा समय–समय पर यूजर्स चार्जिस का हिस्सा जमा करवाया गया तथा ई–गवर्नेस सोसाईटी ऊना को भी यूर्जस चार्जिस का हिस्सा भेजा गया। इसके अतिरिक्त ई–गवर्नेस सोसाईटी ऊना द्वारा भी समय–समय आर0एल0 अम्ब को "Contingent" व्यय हेतु फण्ड भेजे तथा सितम्बर 2009 तक तो ई–गवर्नेस सोसाइटी ऊना द्वारा आर0एल0 अम्ब सैन्टर के प्रयोग हेतु विभिन्न उपभोज्य अनुपभोज्य मदों पर काफी मात्रा में व्यय किया गया परन्तु अंकेक्षण अवधि के दौरान इन वित्तीय तथा अन्य मदों का आर0एल0ए0 अम्ब द्वारा सम्बन्धित विभाग से मिलान नहीं किया गया जिसका मिलान करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 y/kq vkifÙk foojf.kdk& इसे अलग से जारी नहीं किया गया क्योंकि समस्त आपत्तियों का निपटारा स्थल पर कर लिया गया।

21 fu"d"kZ& लेखों में सुधार की आवष्यकता है।

सहायक निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)-(xii) 2/2012 खण्ड–1 दिनांक, षिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

i`"Bkafdr

1. उप मण्डल दण्डाधिकारी अम्ब, जिला ऊना, हि0प्र0 को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर अतिषीघ्र इस विभाग को भेजना सुनिष्चित करें।
2. उपायुक्त एवं अध्यक्ष ई–गवर्नेन्स सोसाईटी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।
3. श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा....................................

सहायक निदेषक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.